

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

व्यापार सुविधा संख्या TRADE FACILITY NO. 08/2021

विषय : वल्लारपाडम पोर्ट से सी एफ एस तक आयात कंटेनरों की आवाजाही हेतु सरलीकृत प्रक्रिया - के संबंध में।

Subject: Simplified Procedure for Movement of Import Containers from ICTT, Vallarpadom Port to CFSs- reg.

सभी आयातकों, निर्यातकों, हितधारकों, सीमा शुल्क ब्रोकर्स, व्यापार तथा उद्योग के सदस्यों तथा सभी हितधारकों का ध्यान उपर्युक्त विषय के तहत सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन द्वारा जारी किए गए व्यापार सुविधा संख्या 31/2013 दिनांक 29.10.2013 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all importers, exporters, customs brokers, members of the trade and industry and all other stakeholders is invited to the Trade Facility No.31/2013 dated 29.10.2013 issued by the Commissioner of Customs, Cochin on the above subject.

2. उक्त व्यापार सुविधा के अनुसार; वल्लारपाडम पोर्ट से सी एफ एस तक कंटेनरों की आवाजाही की अनुमति, सीमा शुल्क अधीक्षक(आई सी टी टी द्वार) के समक्ष निर्धारित प्रोफॉर्म में उपलब्ध मैनुअल आवेदन को भरकर प्राप्त की जाती थी। व्यापार सुविधा के पैरा 4, में यह प्रस्तावित किया गया कि यथासमय आयात कंटेनरों की निकासी के लिए मैनुअल आवेदन जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए। उक्त मैनुअल आवेदन की प्रक्रिया की समाप्ति पर यह भी प्रस्तावित किया गया कि सीमा शुल्क को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की गई आई जी एम को सी एफ एस तक कंटेनरों की आवाजाही के लिए आवेदन के रूप में माना जाएगा तथा 'एंटी इन्वार्ड्स' जारी करने के समय सीमा शुल्क द्वारा आवाजाही के लिए अनुमति स्वतः प्रदान कर दी जाएगी। ऐसी अनुमति आई जी एम में तत्संबंधी लाईन संख्या के सामने दर्शाए गए सी एफ एस के गंतव्य कोड तथा अन्य आवश्यक विवरण के अनुसार होंगी।

Vide the said Trade Facility; the movement of containers from Vallarpadom Port to CFSs had been permitted on filing of a manual application in the prescribed format, before the Superintendent of Customs (ICTT gate). At para 4 of the Trade Facility, it had been proposed to dispense with the requirement for submission of manual application for removal of import containers, in due course of time. It was also proposed that on dispensation of the said manual application procedure, the IGM presented to Customs electronically would be treated as the application for movement of containers to the CFS and automatic permission for movement would be accorded by Customs at the time of grant of 'Entry inwards'. Such permission would be as per the destination code of the CFS and other mandatory details to be mentioned against the respective line numbers in the IGM.

3. सभी हितधारकों के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया है कि सीमा शुल्क अधीक्षक(आई सी टी टी द्वार) के समक्ष मैनुअल आवेदन को भरने की प्रक्रिया को 01.04.2021 से समाप्त किया जाता है। इसके पश्चात सीमाशुल्क को इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्रस्तुत आई जी एम को सी एफ एस तक कंटेनर की आवाजाही के लिए आवेदन के रूप में लिया जाएगा तथा 'एंटी इन्वार्ड्स' जारी करने के समय द्वार पर सीमा शुल्क द्वारा आवाजाही के लिए स्वतः अनुमति, सिस्टम में अंकित सील तथा कंटेनर संख्या की भलीभांति जाँच कर प्रदान की जाएगी। ऐसी अनुमति आई जी एम में तत्संबंधी लाईन संख्या के सामने दर्शाए गए सी एफ एस गंतव्य कोड विवरण के अनुसार होगी। अतः सीमा शुल्क गृह एजेंटों/आयातकों/स्टीमर एजेंटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवरण भलीभांति प्रस्तुत हो ताकि द्वार पर जाँच के समय होने वाले विलंब को टाला जा सके। ई डी आई सिस्टम में कंटेनरों के विवरण में संशोधन/समाविष्टि प्रक्रिया व्यापार सुविधा अधिसूचना 31/2013 दिनांक 29.10.2013 के तहत यथावत जारी रहेगी।

The extant procedure has been reviewed considering inputs received from all stakeholders and it is decided that the procedure of manual application before the Superintendent of Customs (ICTT gate), shall be dispensed with from 01.04.2021. Hereon, the IGM presented to Customs electronically will be treated as the application for movement of containers to the CFS and automatic permission will be accorded by Customs at the time of grant of 'Entry inwards' with due cross checks at the gate of the seal and container number as recorded in the System. Such permission will be as per the destination code CFS details mentioned against the respective line numbers in the IGM. Hence CHAs/Importers/Steamer Agents are to ensure that details are accurately reflected so as to avoid delays at the gate when being cross checked. Procedure for amendment/incorporation of details of the containers in the EDI system shall continue as per procedure prescribed under the Trade Facility notification 31/2013 dated 29.10.2013.

4. इसके पश्चात इस व्यापार सुविधा के अनुलग्नक के अनुसार केवल उन कंटेनरों के लिए जिन्हें स्कैनिंग के लिए चुना गया है, मैनुअल आवेदन पत्र को भरकर सीमा शुल्क अधीक्षक(कंटेनर स्कैनिंग डिविजन) के समक्ष दायर किया जाए। आई सी टी टी गेट के अधिकारी को एक प्रति प्रदान की जाए जो आवेदन(जिन कंटेनरों को सी एफ एस तक आवाजाही के लिए अनुमति प्राप्त हो) को उनकी ओर से दैनिक रूप से सत्यापन हेतु कंटेनर सेल को अग्रेषित करेंगे।

Henceforth, a manual application form as per annexure to this Trade Facility will have to be filed before the Superintendent of Customs (Container Scanning Division) only in respect of those containers that are identified for scanning. A copy shall be presented to the ICTT Gate officer who shall forward the applications (of containers which are permitted for movement to CFS) to the container Cell on daily basis for verification at their end.

5. व्यापार सुविधा संख्या 31/2013 दिनांक 29.10.2013 को केवल इसी सीमा तक संशोधित किया गया है। किसी भी कठिनाई के होने पर इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए।

The Trade Facility No. 31/2013 dated 29.10.2013 stands modified only to this extent. Difficulties faced, if any, may be brought to notice of the undersigned.

Sd/-

(मो. यूसफ़ MOHD. YOUSAF)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

को जारी **Issued to:** सूची अनुसार सभी संबद्ध All concerned, as per mailing list.

F.No.C1/03/2016- TU. Cus.

दिनांक Dated: 18.03.2020

संलग्नक Annex: आवाजाही हेतु आवेदन का फॉर्मेट Format of application for movement.

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//


-//बजू डानियल BAIJU DANIEL//

मूल्यांकक (टारिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

प्रति Copy to:

1. आयुक्त की फाईल Commissioner's file.
2. कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर असोसिएशन, कोचीन The Cochin Customs Brokers Association, Cochin.
3. ई डी आई अनुभाग को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु EDI Section for uploading in the website.

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs,.

कंटेनर स्केनिंग डिवीजन में कंटेनर के स्केनिंग के लिए आवेदन
APPLICATION FOR SCANNING OF CONTAINER AT CONTAINER SCANNING DIVISION

TF No.

Sl. No.

सेवा में To

(To be assigned by Customs)

The Superintendent of Customs (CSD Division)
ICTT, Vallarpadam

महोदय Sir,

We request you to kindly grant permission for scanning of our following containers which have been selected for scanning.

1. आई जी एम संख्या.
IGM No. :
2. आयातक का नाम
Name of the Importer :
3. सीमाशुल्क दलाल का नाम
Name of the Customs Broker :
4. आगम पत्र संख्या. व तारीख
Bill of Entry No. & Date (wherever available) :
5. माल का विवरण
Description of goods :
6. सी एफ एस का नाम
Name of the CFS :
7. घोषित वजन
Declared weight :
8. कंटेनर सं.
Container No. :

स्थान Place : Cochin

तारीख Date :

भवदीय Yours faithfully,

(Name & Signature of the Steamer Agents)